Azadi Ka Amrit Mahotsav

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

नन्ही मुस्कान

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

बेटी की किलकारी

सुन कर किलकारी बेटी की, जीवन पूरा संगीत हुआ।
किस्मत वाले होते हैं वे, जिनके घर बेटी जन्म हुआ।

कभी धूप सी इठलाती है, कभी छांव भी बन जाती है।
दुःख का जब अंधियारा आए, वो सूरज भी बन जाती है।
दुर्गा रूप में शक्ति है, विद्या और धन भी देती है।
कितने रूप हैं बेटी के, सुख से झोली भर देती है।
कभी नापा गहरा सागर, कभी बेटी ने नभ को छुआ।
सुन कर किलकारी बेटी की, जीवन पूरा संगीत हुआ।

शस्त्र उठाकर लक्ष्मीबाई ने, नया इतिहास रचाया था।
गार्गी और मैत्रेयी ने भी, ज्ञान का दीप जलाया था।
जीजाबाई थी प्रथम गुरू, शिवाजी को वीर बनाया था।
संस्कार के बीज रोपकर, माँ का धर्म निभाया था।
पूरे घर में नेह बरसाती, बनकर बेटी, बहन, बुआ।
सुन कर किलकारी बेटी की, जीवन पूरा संगीत हुआ।

फिर भी कुछ अज्ञानी है, बेटे को कुलदीपक जान रहे।
करते हैं पूजा कन्या की, फिर बोझ उसे क्यों मान रहे।
कारण इसका अशिक्षा है, एक अभियान चलाना है।
नारी नहीं थी कभी भी अबला, यह इतिहास बताना है।
ज्ञान का क्षेत्र हो या खेल का, बेटी ने अम्बर छुआ।
सुन कर किलकारी बेटी की, जीवन पूरा संगीत हुआ।

न्यायाधिपति एस.एस.शिंदे

सत्यमेव जयते

मुख्य न्यायाधीश
राजस्थान उच्च न्यायालय
एवं
मुख्य संरक्षक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

आमुख

21वीं सदी मे ं भी भारत में कन्या भ्रूण हत्या, सभ्य समाज के तौर पर हमारे लिए एक कलंक के रूप में विद्यमान है। कुछ लोग कुत्सित मानसिकता के चलते गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन व प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की तकनीक का उपयोग करते हैं और गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति मे, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनैतिक व घृणित अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में स्त्री–पुरूष लिगांनुपात का स्तर चिन्ताजनक स्थिति में पहुॅच गया है।

कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में कठोर कानून अवश्य विद्यमान हैं। लेकिन इसके साथ–साथ आमजन को जागरूक किया जाना भी आवश्यक है। जन–जागरूकता के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे राज्य में सघन अभियान चलाये जाने की कार्य–योजना तैयार की गयी है, जिसे "नन्ही मुस्कान" नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में कन्या भ्रूण हत्या के कारणों एवं इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों का संक्षेप व सरल भाषा में वर्णन करते हुए इस अनैतिक व घृणित अपराध की रोकथाम हेतु जनमानस को प्रेरित करने के लिए भविष्य में किये जाने वाले प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

निश्चित रूप से उक्त पुस्तक जिला विधिक सेवा संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों व आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे विश्वास है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भविष्य में भी जन–जागरूकता हेतु इसी प्रकार के प्रयास जारी रखेगा। पुस्तक के प्रकाशन के लिए रालसा टीम को बधाईयॉ एवं इस पवित्र अभियान की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएॅ।

दिनांकः 16 जुलाई, 2022

(एस.एस. शिंदे)

न्यायाधिपति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधिपति
राजस्थान उच्च न्यायालय
एवं
कार्यकारी अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

आमुख

कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसके नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास किये जाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "नन्ही मुस्कान" नामक पुस्तक तैयार की गयी है। इस पुस्तक में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख सरल भाषा में करते हुए इस संबंध में समाज में संवेदनशीलता व जागरूकता लाने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख है। इसी विषय से जुड़ी हुयी एक समस्या और है कि अवांछित शिशुओं जिनमें मुख्यतः कन्या शिशु होते हैं, को जन्म के पश्चात् असुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाता है। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा "आश्रय पालना स्थल योजना" बनाई गयी है, जिसका भी विवरण पुस्तक में दिया गया है। उक्त योजना की जानकारी भी इस पुस्तक के माध्यम से आमजन तक पहुँचेगी।

मुझे विश्वास है कि उक्त पुस्तक पैरा लीगल वॉलण्टीयर्स, पैनल लॉयर्स, स्वयंसेवी संगठन, इस सामाजिक बुराई के विरूद्ध कार्य कर रहे समाज–सेवी व आमजन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

पुस्तक की व्यापक सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनायें।

(एम.एम. श्रीवास्तव)

घर में नन्हें बालक का जन्म खुशियाँ लेकर आता है लेकिन कुछ लोग ईश्वर की इस सौगात का अपमान करते हैं। हमे अक्सर अखबार में पढ़ने को मिलता है कि अनचाहे या अवांछित नवजात शिशुओं को पैदा होते ही डस्टबिन, कंटिली झाडियों, नदी –तालाब में फेंक देते हैं। इन फेंके जाने वाले नवजात शिशुओं में अधिकांश बेटियॉ होती है। बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी लक्ष्मी को बोझ मानते हुए कचरे, सुनसान स्थान या गंदी जगहों पर फेंक देते है। कुछ लोग पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु गर्भवती मॉ के गर्भ का लिंग परीक्षण करवाकर यदि मॉ के गर्भ में कन्या भ्रूण है तो गर्भपात करवा देते है अर्थात कन्या भ्रूण हत्या करवा देते है। वहीं कुछ अभिभावक कन्या के जन्म के पश्चात उसे झाड़ियों या अन्य असुरक्षित स्थान पर फेंक कर लक्ष्मीस्वरूपा कन्या से छुटकारा पाने का प्रयास करते है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 "जीवन के अधिकार" की घोषणा करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए (ई) महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं के त्याग किये जाने का प्रावधान करता है। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में विधायिका द्वारा कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम,1994 पारित किया गया है, जिसे पी.सी.पी. एन.डी.टी. एक्ट भी कहते है।

इसी प्रकार अनचाहे शिशुओं जिनमें मुख्यतः कन्या शिशु होती है, का परित्याग करने के उद्देश्य से उन्हें फेंक देने या असुरक्षित स्थान पर छोड देने की घटनाओं के समाधान के रूप में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में अवांछित परित्यक्त बच्चों के लिए निश्चित संख्या में जिला, उपजिला एवं सैटेलाईट अस्पतालों में आश्रय/पालना स्थल स्थापित किये गये है।

कन्या भ्रूण हत्या

कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है कि महिलाओं का समान अनुपात हो, उनको समान अधिकार मिलें एवं उनके साथ बराबरी का व्यवहार सुनिश्चित हो। वर्तमान में कुछ अज्ञानी लोग आधुनिक चिकित्सा पद्वति का उपयोग करते हुए भ्रूण के लिंग का पता लगाते है तथा कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस गंभीर, अनैतिक व जघन्य अपराध की रोकथाम के लिए गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) पारित किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या नैतिक व सामाजिक अपराध भी है। भारतीय परम्परा में नारी को देवी तुल्य माना गया है। इस दृष्टि से कन्याभ्रूण हत्या, अपराध होने के साथ–साथ महापाप भी

है।

हमारे समाज में लडकी को पराया धन मानने की मानसिकता है। दहेज की समस्या भी विद्यमान है तथा महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इन परिस्थितियों में पुत्र मोह की चाह में, अज्ञानी लोग यह विधि विरूद्व कार्य कर अपराधी बन जाते है। इस सम्बन्ध में जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को इस तरह के अपराध नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण :

1. परम्परागत सामाजिक मान्यताओं के कारण लोगों में पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है। उनके मन में यह धारणा होती है कि लड़का ही भविष्य में माता–पिता एंव परिवार की रक्षा करेगा और उनके वंश को आगे बढायेगा।
2. कई माता–पिता का यह मानना होता है कि लडकी पराई होती है। लडकी की शादी में दहेज देने की कुप्रथा के कारण भी लोग लडकी को बोझ मानते हैं।
3. कुछ पिछडे हुए समाजों में लडकियों की सुरक्षा को लेकर आशंका रहती है। इस कारण भी वे लडकों के जन्म को प्राथमिकता देते हैं।
4. कई माता–पिता वृद्धावस्था में अपनी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुत्र जन्म की इच्छा रखते हैं और कन्या भ्रूणहत्या जैसा अपराध कर बैठते हैं।
5. समाज में महिलाओं की स्थिति को कमतर आंका जाता है या उन्हें निम्न दृष्टि से देखा जाता है। बेटी को पराया धन मानते हुए उसे परिवार में भी बेटे के समान अधिकार नहीं दिये जाते। इस प्रकार समाज में महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति के कारण भी कई लोगों में पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है।
6. वर्तमान में दो संतान से अधिक संतान होने पर दम्पत्ति को कई अधिकारों, रियायतों से वंचित किया जाता है। जैसे–ग्राम पंचायत एवं शहरी निकायों के चुनाव में दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति को निर्वाचन में भाग लेने पर रोक है। जहां दम्पत्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वे दो बच्चों की सीमा वाले प्रावधान के कारण लिंग परीक्षण कराने और कन्या भ्रूण हत्या की ओर प्रेरित होते हैं।
7. गैर–कानूनी लिंग परीक्षण पर प्रतिबंध के बावजूद भी चोरी–छिपे लिंग परीक्षण की व्यवस्था हो जाने के कारण भी कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला है।

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम :

1. कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लडकियों की कमी होने से वर्तमान में भी कई पुरूषों के विवाह में समस्या आ रही है।
2. स्त्री–पुरूष का अनुपात प्रभावित होने से महिलाओं के विरूद्ध दुष्कर्म व छेडछाड जैसे यौन अपराधों में वृद्धि हुई है।

3. कन्या भ्रूण हत्या के लिए जिस महिला का गर्भपात कराया जाता है, उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कन्या भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात कराने पर अत्यधिक रक्त स्राव से माँ की मृत्यु होने की सम्भावना रहती है तथा भविष्य में बच्चे होने की सम्भावना भी कम हो जाती है।

4. बार–बार लिंग जांच कराने और कन्या भ्रूण होने की स्थिति में गर्भपात कराने से महिला को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। विरोध करने पर महिला को विभिन्न प्रकार की हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, जिससे भी उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

कानूनी प्रावधान :

1. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन तकनीक या लिंग का अवधारण करने के प्रयोजन से प्रसव पूर्व निदान तकनीक जिसके अन्तर्गत अल्ट्रा सोनोग्राफी भी आती है, का उपयोग नहीं किया जायेगा।

2. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा–4 के प्रावधानों के अनुसार केवल निम्न परिस्थितियों में प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि–

i. गर्भवती स्त्री की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक हो।

ii. गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक बार गर्भपात हो चुके हों या भ्रूण हानि हुई हो।

iii. गर्भवती संभावित रूप से हानिप्रद अभिकर्मकों जैसे–मादक पदार्थ, विकिरण, संक्रमण या रसायनों के संपर्क में आ चुकी हो।

iv. गर्भवती या उसके पति के परिवार में किसी को मानसिक विकार या शारीरिक विकृति रही हो, जैसे – आनुवांशिक रोग, मानसिक मंदिता।

v. बोर्ड द्वारा तय की गई कोई अन्य दशा।

3. कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवांशिकी क्लीनिक या अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्केनर या भ्रूण के लिंग का अवधारण और लिंग चयन करने में समर्थ प्रौद्योगिकी वाली क्लीनिक भी सम्मिलित है, ऐसा कोई विज्ञापन किसी भी रूप में प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेंगे, जो विज्ञापन प्रसव पूर्व लिंग अवधारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में बताते हो। उक्त प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत तीन वर्ष तक के कारावास

और दस हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

4. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार लिंग परीक्षण संबंधी प्रावधान का उल्लंघन करने पर चिकित्सक व उसके सहयोगियों को तीन वर्ष तक के कारावास तथा दस हजार रूपये तक के अर्थदण्ड दिये जाने का प्रावधान है। अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने पर पांच वर्ष तक का कारावास और पचास हजार रूपये तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत उसका पंजीकरण स्थगित करने और यदि प्रथम बार दोषसिद्ध किया जाता है तो पांच वर्ष की अवधि के लिए और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए स्थाई रूप से मेडिकल कॉउसिंल के रजिस्टर से उसका नाम हटाये जाने तक के प्रावधान है।
5. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यह अवधारणा की जायेगी कि गर्भवती स्त्री प्रसव पूर्व निदान तकनीक का अधिनियम की धारा 4 (2) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए, उपयोग कराने के लिए यथास्थिति उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा विवश की गयी थी और ऐसा व्यक्ति अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा। लिंग परीक्षण के लिए विवश करने व दुष्प्रेरित करने की स्थिति में प्रथम अपराध के लिए तीन वर्ष तक के कारावास और पचास हजार रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच वर्ष तक के कारावास और एक लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
6. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 27 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस एक्ट के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा।
7. कोई आनुवांशिक सलाह केन्द्र या आनुवांशिकी प्रयोगशाला या ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र जहां भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग का चयन करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। आनुवांशिक प्रयोगशाला या क्लीनिक रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें अल्ट्रासाउण्ड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्केनर या भ्रूण के लिंग का पता लगाने में सक्षम अन्य उपकरण का विक्रय नहीं किया जायेगा।
8. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की एक प्रति ऐसे क्लीनिक या केन्द्र या प्रयोगशाला के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी।
9. प्रत्येक परीक्षण केन्द्र पर यह बोर्ड लगाया जाना आवश्यक है कि "यहां पर लिंग

का परीक्षण नहीं किया जाता है, यह दण्डनीय अपराध है।" उक्त बोर्ड अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में लगाया जाना अनिवार्य है। पंजीकृत परीक्षण केन्द्र पर पी.सी.पी. एन.डी.टी. एक्ट की प्रतिलिपि को रखना अनिवार्य है।

10. पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। समुचित प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में एक से अधिक हो सकते हैं, जिनका कार्य आनुवांशिक परामर्श केन्द्र, आनुवांशिक प्रयोगशाला एवं आनुवांशिक क्लिनिकों को लाईसेंस प्रदान करना, उनकी मंजूरी, निलम्बन व निरस्तीकरण करना, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही करना तथा सलाहकार समिति से राय प्राप्त कर पंजीयन के लिए आवेदन करने पर पंजीयन करना, शिकायत मिलने पर पंजीयन का निलम्बन व निरस्तीकरण करना, लिंग चयन तथा प्रसूति पूर्व लिंग निर्धारण के विरूद्ध जागरूकता पैदा करना तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है। सलाहकार समिति राज्य स्तर पर कार्य करती है, जो समुचित प्राधिकारी के अनुरोध पर पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त होने पर या शिकायत पर पंजीयन निलम्बित व निरस्त करने के संबंध में राय देगी। समुचित प्राधिकारी को लिंग परीक्षण रोकने के क्रम में किसी व्यक्ति को सम्मन करने, दस्तावेज या वस्तु मंगाने या तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्तियॉ दी गयी हैं।

11. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 के प्रावधानों के अनुसार जो कोई जान–बूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है, जब तक कि कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिलाओं के जीवन के लिए खतरनाक ना हो तो उसे सात वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकता है।

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय :

1. **विनोद सौनी बनाम भारत संघ – 2005 Cr. L.J. 3408(Bombay)**

   इस याचिका में महिला को अपने बच्चे का लिंग चयन करने एवं परिवार का स्वरूप निर्धारित करने का मूल अधिकार बताते हुए, पीसीपीएनडीटी एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अन्तर्गत चुनौती दी गयी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में लिंग चयन का अधिकार शामिल नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

2. **विजय शर्मा बनाम भारत संघ– AIR 2008 Bombay 29**

   इस प्रकरण में, एम.टी.पी. एक्ट, 1971 में कुछ परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति होने जबकि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट में लिंग चयन के आधार पर गर्भपात को प्रतिबन्धित किये जाने को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गयी

थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट लिंग चयन को प्रतिबन्धित करता है एवं एम.टी.पी. एक्ट भी लिंग चयन की अनुमति नहीं देता है। इन दोनों अधिनियम के उद्देश्य हालांकि अलग–अलग हैं लेकिन इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट से संविधान के किसी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

3. **क्वॉलिफाईड प्राईवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एण्ड होस्पिटल ऐसोसियेशन बनाम केरल राज्य 2006 (4) केरल लॉ जनरल –81**

इस प्रकरण में यह अनुतोष चाहा गया कि ऐसी लेबोरेट्री तथा निदान क्लिनिक जो अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा लिंग परीक्षण नहीं करते हैं, उन्हें पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के दायरे से बाहर रखा जाए। माननीय केरल उच्च न्यायालय ने ऐसे चिकित्सालयों को पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के दायरे से बाहर मानने से इंकार कर दिया, साथ ही यह अभिनिर्धारित किया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण केवल ऐसे आनुवांशिक सलाह केन्द्र या आनुवांशिकी प्रयोगशाला के लिए आवश्यक होगा, जो प्रसव पूर्व निदान तकनीक अपनाते हैं। समुचित प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वे किसी भी सेन्टर या लेबोरेट्री का निरीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

4. **सत्य त्रिलोक केसरी उर्फ सत्यनारायण बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 (6) एल. जे. सॉफ्ट 389**

याचिकाकर्ता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में यह लेख छापा कि लड़का कैसे पैदा किया जाए। उसके विरूद्ध लिंग चयन के विज्ञापन से संबंधित अभियोजन प्रारम्भ किया गया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी कि उसका लेख अपनी रिसर्च पर आधारित था, जिसका अभिप्राय लिंग चयन का विज्ञापन नहीं हो सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में यह पाया कि याचिकाकर्ता ने बहुत चतुराई से, लेख के माध्यम से लिंग चयन की सुविधा का विज्ञापन किया था। उसका कृत्य पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की धारा 22 का उल्लंघन माना गया।

5. **डा. रविन्द्र बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 (10) एल.जे. सॉफ्ट 138**

इस प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अपराधों के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है एवं परिवाद पर ही प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। अतः इनका विचारण पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारण्ट मामलों की भांति होगा, जिसमें आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है। न्यायालय बिना साक्ष्य लेखबद्ध किये, सीधे ही आरोप विरचित कर विचारण प्रारंभ नहीं कर सकता।

आश्रय पालना स्थल योजना

उद्देश्य एवं आवश्यकता :–

इस योजना का उद्देश्य अवांछित नवजात शिशुओं, जिनमें विशेषकर कन्या शिशु होती है, का जीवन बचाना है। इन अवांछित बच्चों को इस उद्देश्य से असुरक्षित स्थानों पर छोड दिया जाता है कि या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी या कोई उन्हें उठाकर ले जाएगा। यदि उन्हें कोई उठाकर ले जाता है, तो उस स्थिति में उनके गलत हाथों में पड़ जाने की संभावना भी रहती है। मानव तस्करी करने वाले गिरोह या मानव अंग का दुर्व्यापार करने वाले गिरोह ऐसे बच्चों को अपना शिकार बना सकते हैं। कन्या शिशु की स्थिति में उन्हें वैश्यावृत्ति जैसे घृणित कार्य में धकेला जा सकता है।

कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग लिंग परीक्षण में कन्या भ्रूण का पता लगने पर गर्भपात करवा देते हैं, वहीं कुछ मामलों में जन्म के उपरान्त कन्या शिशु को मरने के लिए झाडियों, जंगल या सुनसान स्थानों, बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन या अन्य असुरक्षित स्थान पर मरने के लिए छोड देते हैं या फेंक देते हैं। इस प्रकार की घटनाओं में कन्या शिशु के अलावा अवांछित या अनचाहे नवजात बालक भी होते हैं। उन स्थानों से जब किसी बच्चे या बच्ची को उठाकर अस्पताल पहुँचाया जाता है तो उन्हें जीवन से संघर्ष करना पड़ता है। यदि अभिभावक अपनी नवजात बेटियों या अवांछित बालक को मारने या फेंकने के स्थान पर आश्रय पालना स्थल में भेंज दें तो उनका जीवन बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से कई निर्धारित सरकारी अस्पतालों के दरवाजों पर पालना गृह की स्थापना की गयी है। वहां स्थित "पालने" में शिशु प्राप्त होते ही अस्पताल के भीतर अलार्म बजता है। यदि आवश्यकता हो तो उस शिशु का ईलाज किया जाता है और बच्चा स्वस्थ होने पर उसे शिशुगृह में भेज दिया जाता है। जहां उसके समुचित लालन–पालन की व्यवस्था होती है। आश्रय पालना स्थल योजना का आदर्श वाक्य है – '' फेंके नहीं, हमें दें''

पालना स्थल पर नवजात शिशु मिलने की स्थिति में विहित फॉर्म में विवरण देते हुए 24 घण्टे के अन्दर संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आश्रय पालना स्थल की स्थापना जिस राजकीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण ऐजेंसी या अन्य स्थान पर की गयी हो, वहां इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पालना स्थल के आस–पास ज्यादा भीड–भाड या ज्यादा आवागमन वाला स्थान ना हो। ताकि शिशु का परित्याग करने वाले माता–पिता ऐसे स्थानों पर आने से भयभीत ना हों या संकोच न करें।

गोपनीयता एवं अन्य कार्यवाही संबंधी प्रावधान :

1. चिकित्सालय प्रशासन "पालना स्थल" के पालने में शिशु के सुरक्षित परित्याग पर, पुलिस को निश्चित प्रारूप के अनुसार मात्र सूचना देते हैं। ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करवायी जाती, ना ही त्याग करने वालों की पहचान उजागर की जाती है।
2. किसी जैविक माता–पिता द्वारा शिशु/बच्चे का परित्याग उन परिस्थितियों में किया जाता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है, तो यह माना जाएगा कि बच्चे का परित्याग जान–बूझकर नहीं किया गया है तथा उन पर दाण्डिक प्रावधान लागू नहीं होंगे। किसी नवजात शिशु के परित्यक्त होने के संबंध में जांच के दौरान जैविक माता–पिता के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है।
3. यदि चिकित्सालय/अस्पताल प्रशासन के ध्यान में यह आता है कि कोई महिला अपने बच्चे का पालन करने में असक्षम है अथवा असमर्थता व्यक्त करती है तथा बच्चे को सुपुर्द करने को इच्छुक है तो ऐसे प्रकरणों में महिला को संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर विधिवत रूप से शिशु/बच्चे को समर्पित करने हेतु कहा जाएगा। समिति द्वारा यह कार्यवाही पूर्णतः गोपनीयता के साथ की जाएगी तथा बच्चे को समर्पित करने वाले के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
4. किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा परित्यक्त या समर्पित शिशु को दत्तक ग्रहण या गोद देने की निर्धारित प्रक्रिया के बिना बच्चे को गोद देने का प्रस्ताव रखा जाता है या गोद दिया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो उस व्यक्ति या संस्था का यह कृत्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे प्रकरणों में पुलिस स्वविवेक से अथवा सूचना मिलने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेगी तथा ऐसे बच्चे को तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेगी ताकि समिति बच्चे के पुनर्वास के संबंध में आवश्यक आदेश पारित कर सके।
5. किसी भी स्थिति में परित्यक्त शिशु/बच्चे को चिकित्सालय/अस्पताल द्वारा कार्मिक या अन्य किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयंसेवी संस्था को सीधे ही सुपुर्द नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बाल कल्याण समिति का आदेश होना आवश्यक है। शिशु पालना स्थल में छोडे गये या परित्यक्त नवजात शिशु की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास की समस्त जिम्मेदारी संबंधित बाल कल्याण समिति एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी की है तथा इस संबंध में समस्त कार्यवाही किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

तथा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर प्रसारित विनियमन / दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

6. आश्रय / शिशु पालना स्थलों / केन्द्रों या अस्पताल / चिकित्सालय परिसर में मिले किसी अनाथ / परित्यक्त / समर्पित शिशु / बच्चे के मृत पाये जाने पर या ईलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसकी लिखित सूचना तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति एवं संबंधित पुलिस थाने को दी जायेगी तथा पोस्टमार्टम के पश्चात् बच्चे की मृत देह को संबंधित विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंपा जाएगा तथा एजेंसी द्वारा नियमानुसार शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

आश्रय पालना स्थल योजना के लाभ :

1. जहां असामान्य परिस्थितियों के कारण कुछ लोग अवांछित नवजात शिशुओं को असुरक्षित स्थानों पर छोड़ जाते हैं, उन शिशुओं के लिए इस योजना के माध्यम से सुरक्षित परित्याग का स्थान उपलब्ध होगा।
2. अवांछित शिशुओं को पालना स्थल पर छोड़ने की स्थिति में उन बच्चों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलबध कराई जाती है। परिणामस्वरूप उन बच्चों का जीवन बचाना और बाद में उनका सुरक्षित पुनर्वास संभव हो पाता है।
3. अवांछित नवजात शिशुओं को असुरक्षित स्थान पर छोडने से यह भी संभावना रहती है कि वे असुरक्षित हाथों में चले जाएगे। इस योजना के माध्यम से जब उन बच्चों को पालना स्थल पर छोडा जाता है, तो यह संभावना समाप्त हो जाती है और वे मानव तस्करी का शिकार होने से बच जाते हैं।
4. जहां कोई माता–पिता किन्हीं कारणों से संतान सुख से वंचित हैं, तो वे विहित प्रक्रिया के अनुसार उन नवजात शिशुओं में से किसी को गोद ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ सन्तान सुख से वंचित दम्पत्ति की अधूरी चाहत पूर्ण होती हैं, वहीं उस परित्यक्त बच्चे को माता–पिता का प्यार मिलता है।
5. जो नवजात शिशु, अवांछित माने जाकर परित्यक्त कर दिये गये थे उन्हे इस योजना के कारण पुनर्वास का अवसर प्राप्त होता है और वे समाज पर बोझ बनने की बजाए, समाज के लिए उपयोगी बन जाते हैं।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य योजना

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई के विरूद्ध कार्य कर रहे समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर सघन जन जागरूकता अभियान चलाया जावेगा, जिसके माध्यम से समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की सोच में बदलाव लाते हुए कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध माहौल तैयार किया जावेगा व जन–जागृति लाई जाएगी।

2. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ चलाये जाने वाले जन जागरूकता अभियान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराते हुए इस संबंध में लिंग परीक्षण रोकने के लिए सरकार के स्तर पर संचालित मुखबिर योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा, ताकि अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने वालों की जानकारी उपलब्ध हो सके और उनके विरूद्ध कार्यवाही संभव हो सके।

3. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स, पैनल लॉयर्स व स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर चलाये जाने वाले सघन जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रति जागरूक करते हुए, जनमानस को दहेज की प्रथा रोकने के लिए प्रेरित किया जावेगा ताकि इस कुप्रथा के कारण आमजन कन्या भ्रूण हत्या जैसी घृणित सामाजिक बुराई की ओर अग्रसर नहीं हों।

4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स, पैनल लॉयर्स व स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए व पुत्र व पुत्री के समान विधिक अधिकार होने के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लिंग भेद के कारण या समाज में बालिका की कमतर स्थिति मानने के कारण जो कन्या भ्रूण हत्या की मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी सोच बदली जा सके।

5. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा अवांछित नवजात शिशुओं जिनमें मुख्यतः बालिका शिशु होती है, को लावारिस छोड देने या फेंक देने की प्रवृत्ति को

देखते हुए उनके सुरक्षित परित्याग के लिए बनायी गयी आश्रय पालना स्थल योजना का प्रचार–प्रसार करने हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर पूरे राज्य में विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। इस सघन अभियान के दौरान नवजात शिशुओं के सुरक्षित परित्याग हेतु जिन राजकीय चिकित्सालयों को चिन्हित् किया गया है, उनका प्रचार–प्रसार किया जावेगा। उन चिकित्सालयों में पालना स्थल का संचालन, योजना के अनुसार सही ढंग से हो रहा है, इस बात पर भी अभियान के दौरान फोकस किया जाएगा। इस योजना की जानकारी प्रचार–प्रसार सामग्री के माध्यम से आमजन तक पहुंचायी जावेगी, ताकि नवजात शिशुओं का यदि कोई परित्याग करना भी चाहे तो उसका सुरक्षित परित्याग संभव हो सके।

बालिका शिक्षा

मन में पल रहे अरमानो की, सपनो की अनुगूंज है बिटिया।
खुशबू से महक उठे हैं रिश्ते,जो अंगना में उतरी नन्हीं चिड़िया।।

भोली सी सूरत,स्नेह की मूरत,नभ को छूने की मन में आशा।
जकड़ना मत बंधन में उसको,जानती शौर्य की भी वो भाषा।।
जब वो नभ में उड़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो देखेगी सारी दुनियाँ।
बालिका शिक्षा से जुड़ा हैं ''रालसा'', नाम करेगी जग में बिटिया।।

मन में पल रहे अरमानो की, सपनो की अनुगूंज है बिटिया।
खुशबू से महक उठे हैं रिश्ते, अंगना में उतरी जब नन्ही चिड़िया।।

गंगा सी पावन, हैं शीतल चांदनी, बन जाए रण में झांसी की रानी।
प्रशस्ति की चाह नहीं है मन में, त्याग की मूरत हैं बेटी सयानी।।
कितने भी प्रस्तर पथ में आए, रूकती नहीं हैं कभी वेगवती नदियां।
बेटी को अवसर देकर तो देखो, चमकेगी नभ में सूरज–सी बिटिया।।

मन में पल रहे अरमानो की, सपनो की अनुगूंज है बिटिया।
खुशबू से महक गये हैं रिश्ते, अंगना में उतरी जब नन्ही चिड़िया।।

जब अंगना में उतरी सोनचिरैया....
अंगना में उतरी जब प्यारी चिड़िया.....

Contact Details of District Legal Services Authorities & Secretaries

S.N.	DISTRICT	STD Code	Office DLSA	Official Mobile	Help Line No.
1	AJMER	0145	2943811	9358865706	8306002101
2	ALWAR	0144	2940098	9358865707	8306002102
3	BALOTRA	02988	220970	9358865708	8306002103
4	BANSWARA	02962	241547	9358865710	8306002104
5	BARAN	07453	237186	9358865711	8306002105
6	BHARATPUR	05644	228870	9358865712	8306002106
7	BHILWARA	01482	230199	9358865713	8306002107
8	BIKANER	0151	2970623	9358865714	8306002108
9	BUNDI	0747	2442533	9358865715	8306002109
10	CHITTORGARH	01472	294210	9358865716	8306002112
11	CHURU	01562	294594	9358865718	8306002110
12	DAUSA	01427	223029	9358865719	8306002114
13	DHOLPUR	05642	220162	9358865720	8306002115
14	DUNGARPUR	02964	233078	9358865721	8306002116
15	GANGANAGAR	0154	2944888	9358865722	8306002117
16	HANUMANGARH	01552	294199	9358865723	8306002118
17	JAIPUR METRO-I	0141	2200576	9358865724	8306002119
19	JAIPUR METRO-II	0141	2947155	9358510180	8306006150
18	JAIPUR DISTRICT	0141	2203090	9358865725	8306002120
19	JAISALMER	02992	294676	9358865726	8306002123
20	JALORE	02993	294337	9358865727	8306002126
21	JHALAWAR	07432	294065	9358865728	8306002127
22	JHUNJHUNU	01592	294040	9358865729	8306002128
23	JODHPUR METRO	0291	2540351	9358865730	8306002021
24	JODHPUR DISTRICT	0291	2943451	9358865731	8306002129
25	KARAULI	07464	251108	9358865732	8306002130
26	KOTA	0744	2321096	9358865733	8306002131
27	MERTA	01590	220110	9358865734	8306002132
28	PALI	02932	294035	9358865735	8306002166
29	PRATAPGARH	01478	220302	9358865736	8306002134
30	RAJSAMAND	02952	221000	9358865738	8306002135
31	SAWAI MADHOPUR	07462	294301	9358865739	8306002136
32	SIKAR	01572	270048	9358865740	8306002137
33	SIROHI	02972	294048	9358865742	8306002138
34	TONK	01432	294603	9358865743	8306002139
35	UDAIPUR	0294	2940382	9358865744	8306002022
36	RHCLSC, Jodhpur	0291	2888047	9358865703	8306002140
37	RHCLSC, Jaipur	0141	2227481	9358865702	8306002122

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, Fax: 2227602

Toll Free Help Line 15100/9928900900

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in